26

नयाचार मानकों के उल्लंघन और लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा तिरस्कारपूर्ण व्यवहार की शिकायतों का निपटान

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार मानदण्डों का उल्लंघन और लोक सभा सदस्यों के प्रति अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति के कार्यकरण का वर्णन किया गया है। यह समिति, जो कि अभी एक तदर्थ समिति है, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 254 के अधीन अध्यक्ष को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत गठित की गई है। इस पुस्तिका का उद्देश्य सदस्यों के सुलभ संदर्भ के लिए लघु संदर्शिका उपलब्ध कराना है।

तथापि, इस सारांश पुस्तिका में दी गई जानकारी संपूर्ण नहीं है, अतः पूर्ण जानकारी के लिए मौलिक स्रोतों का अवलोकन और अवलंबन करना ही विवेकोचित है।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

26

नयाचार मानकों के उल्लंघन और लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा तिरस्कारपूर्ण व्यवहार की शिकायतों का निपटान

भारतीय राज्यव्यवस्था में संसद सदस्यों को उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त है। वे न केवल विधायक हैं बल्कि जनप्रतिनिधि भी हैं। जनप्रतिनिधि के रूप में, उन्हें ऐसे अनेक मुद्दों का सामना करना पड़ता है जो कि जनता से संबंधित हैं और उन्हें अपने निर्वाचकों तथा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित अनेक सार्वजनिक कल्याण कार्यों को करना पड़ता है। जनता की शिकायतों के निवारण के लिए उन्हें बहुधा सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करनी पड़ती है। प्रशासन और संसद सदस्यों के बीच शासकीय कार्यों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देश/दिशानिर्देश स्थापित किए गए हैं। अपेक्षित शिष्टाचार दिखाने के साथ-साथ, सरकारी अधिकारियों से संसद सदस्यों के साथ सरकारी कार्यों में इन दिशानिर्देशों/अनुदेशों का अक्षरश: पालन करने की अपेक्षा की जाती है, इन दिशानिर्देशों/अनुदेशों, जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, को ''प्रशासन तथा संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के बीच शासकीय कार्यों संबंधी भारतीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश/दिशानिर्देश'' नामक पुस्तिका में समेकित किया

1

गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा नवीनतम अनुदेश/दिशानिर्देश 1 दिसम्बर, 2011 को जारी किए गए थे।

2. नवीनतम समेकित अनुदेश[1] कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के शा.ज्ञा. सं. 11013/4/2011-स्था.क दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 के माध्यम से इन अनुदेशों को राज्य/मंडल/जिला स्तर पर सभी राज्य सरकार अधिकारियों को परिचालित करने और इसके कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा भी करने के अनुरोध सहित सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों तथा अन्य संबंधितों को परिचालित कर दिए गए हैं।

नयाचार मानकों के उल्लंघन और लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति, इसकी संरचना और कृत्यः

3. लोक सभा में किसी समिति की स्थापना सभा या अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और यह अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण के अधीन कार्य करती है और अपना प्रतिवेदन सभा या अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत करती है।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों का नियम 254 संसदीय समितियों के गठन से संबंधित है।

---

[1]कृपया परिशिष्ट-एक **देखें**।

4. प्रक्रिया नियमों में विशिष्टतया प्रावधान की गई संसदीय समितियों के अलावा, तदर्थ संसदीय समितियों, जिनमें एक सभा या दोनों सभाओं के सदस्य होते हैं, का भी गठन विशिष्ट मामलों पर विचार करने और प्रतिवेदन देने के लिए सभा या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ऐसी समितियों की नियुक्ति, स्वप्रेरणा या किसी संसदीय समिति की संस्तुति पर या किसी संविधि के उपबंधों के अनुसरण में, सभा या अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

5. ''प्रशासन और संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के बीच शासकीय कार्य'' के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन अनुदेशों/दिशानिर्देशों में मूल रूप से वे सिद्धांत और परिपाटियां होती हैं जो संसद/राज्य विधानमंडलों के सदस्यों और सरकारी सेवकों के बीच संबंधों को नियंत्रित करें। तथापि, लोक सभा सदस्यों से बार-बार इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन और शासकीय कार्यों में सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध प्रदर्शित किए गए अशिष्ट व्यवहार की शिकायतें बड़ी संख्या में हो रही थीं।

सुस्थापित पद्धति के अनुसार सरकारी अनुदेशों के उल्लंघन एवं सरकारी अधिकारियों की ओर से प्रथम दृष्टया दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं के संबंध में सदस्यों से प्राप्त शिकायतें सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन नहीं हैं।

3

10 मार्च, 2012 को माननीय अध्यक्ष ने नयाचार उल्लंघन एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा सरकारी मामलों में संसद सदस्यों के साथ किए गए अशिष्ट व्यवहार के संबंध में लोक सभा के सदस्यों द्वारा दी गई शिकायतों की परीक्षा के लिए अलग समिति के गठन के लिए सिद्धांत रूप में अनुमति दी।

6. माननीय अध्यक्ष द्वारा समाचार मानदंडों के उल्लंघन और लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों के अपमानजनक व्यवहार संबंधी समिति ने 2 अगस्त, 2012 के बुलेटिन भाग-2 सं. 4774[2] के माध्यम से प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 254 के उपबंधों के अनुसरण में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद स्वप्रेरणा से निम्नलिखित विचारार्थ विषय लिए—

(क) निम्नलिखित के संबंध में अध्यक्ष द्वारा सौंपी गई प्रत्येक शिकायत की परीक्षा—

(1) संसद सदस्यों के साथ सरकारी मामलों के संबंध में समय-समय पर निर्धारित नयाचार मानदंडों का उल्लंघन;

(2) प्रशासन और संसद सदस्यों के बीच सरकारी काम के संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या दिशानिर्देशों का उल्लंघन; और

(3) सरकारी कार्य के दौरान किसी सदस्य के साथ सरकारी अधिकारी द्वारा अशिष्ट व्यवहार।

---

[2]कृपया परिशिष्ट-दो **देखें**।

(ख) ऐसी सिफारिशें करना जो उसे उपयुक्त लगे।

(ग) समिति को सौंपी गई शिकायतों की परीक्षा के लिए इसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच और निर्धारण हेतु प्रक्रिया की तरह होगी या हो सकती है वहां तक जहां तक यह सभा या किसी सदस्य के विशेषाधिकार हनन के किसी प्रश्न से संबंधित है।

(घ) सभा को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के विचारण तथा सभा द्वारा ऐसे प्रतिवेदनों के विचारण हेतु प्राथमिकता के संबंध में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 315 एवं 316 के उपबंध सदस्यों के साथ सरकारी काम में नयाचार मानदंड के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की परीक्षा करने के लिए समिति के प्रतिवेदन में आवश्यक परिवर्तन सहित प्रयोज्य होंगे।

नयाचार उल्लंघन की शिकायत देने के लिए प्रक्रिया तथा लोक सभा के सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों के अवमाननापूर्ण व्यवहार एवं नयाचार मानदंडों के उल्लंघन संबंधी समिति को अध्यक्ष महोदय द्वारा संदर्भ

7. प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार या नयाचार उल्लंघन की किसी घटना से व्यथित सदस्य लोक सभा के महासचिव को लिखित

शिकायत दे सकता है। इस शिकायत के साथ सामान्यतया समर्थक दस्तावेजी साक्ष्य भी होने चाहिएं। शिकायत की परीक्षा के पूर्व सामान्यतया उस संबंधित केन्द्र/राज्य सरकार से वास्तविक टिप्पण मांगा जाता है जिसके अधीन वह अधिकारी कार्यरत है। तत्पश्चात् शिकायत की परीक्षा के बाद यदि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि यह नयाचार मानदंडों के उल्लंघन का मामला है तब अध्यक्ष महोदय जांच, परीक्षा एवं प्रतिवेदन हेतु नयाचार मानदंड उल्लंघन आदि संबंधी समिति को इस मामले को सौंप सकते हैं। ऐसा करने में अध्यक्ष महोदय को इसके विचारण एवं निर्णय, कि क्या इस मामले को समिति को ऐसे सौंपा जाये, हेतु सभा के समक्ष इस मामले को लाने की आवश्यकता नहीं है। सौंपे गए ऐसे मामलों के संबंध में समिति के प्रतिवेदन अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किए जाते हैं एवं अध्यक्ष महोदय निदेश दे सकते हैं कि प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जाए। अभी यह समिति उसी प्रक्रिया को अपनाती है जो विशेषाधिकार के प्रश्न के नोटिस की परीक्षा के लिए विशेषाधिकार समिति द्वारा अपनायी जाती है।

6